classmate
Date :
Page :

आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास

स्थायी बन्दोबस्त permanent Settlement or Zamindari System.

1790 ई० में कार्नवालिस ने दसवर्षीय व्यवस्था लागु किया।
1793 ई० में इस व्यवस्था को बंगाल, बिहार उड़ीसा, और कालान्तर में बनारस खण्ड एवं उत्तरी कर्नाटक में स्थायी कर दिया
यह व्यवस्था संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 19% भूमि पर लागु की गयी।

- → सर्वप्रथम यह व्यवस्था बंगाल में लागु की गयी
- → जमींदार किसान से वसूले गये लगान का 10/11 भाग सरकारी कोष में जमा करता था तथा शेष 1/11 भाग अपने खर्च के लिए रखता था
- → अकाल सूखा आदि समय में भी लगान की दर नहीं घटाई गयी
- → यह व्यवस्था सर जेम्स ग्रान्ट और सर जॉन शोर के देन थी।

महालवाड़ी व्यवस्था

- → महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 ई० में हाल्ट मैकेन्जी द्वारा लाया गया
- → इस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का सामूहिक अधिकार होता था
- → महाल के अंतर्गत छोटे व बड़े सभी स्तर के जमींदार आते थे
- → महालवाड़ी व्यवस्था को 1822 के रेग्यूलेशन - VII द्वारा कानूनी रूप दिया गया।
- → यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्यप्रांत, एवं पंजाब में लागु किया गया।
- → यह ब्रिटिश भारत की भूमि का लगभग 30% भाग सम्मिलित था
- → प्रारंभ में लगान की दर 80% थी, जो बाद में 1833 में 66% होगया।
- डलहौजी ने सहारनपुर नियम के अनुसार लगान की दर को 50% कर दिया
- यह व्यवस्था 1857 के विद्रोह का एक बड़ा कारण बना

रैय्यतवाड़ी व्यवस्था - (The Rayatwari System)

→ इस व्यवस्था में भूमि का मालिक पंजीकृत भूमिदार होता था जो सरकार को लगान देने के लिए जिम्मेवार होता था

→ रैय्यतवाड़ी व्यवस्था मद्रास बम्बई एवं असम के अधिकांश भागों में लागु किया जाता था।

→ रैय्यतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम 1792 ई० में मद्रास के बारामहल जिले में लागु किया गया।

→ रैय्यतवाड़ी व्यवस्था टामस मुनरो द्वारा लागु किया गया (मद्रास)

→ लगान कुल उपज का तीसरा भाग था।

→ मद्रास में यह व्यवस्था 30 वर्षों तक लागु रही।
1855 में लगान की दर 50% तथा 1864 में इसे 55% कर दिया गया

→ बम्बई में (1835) इसे लेफ्टिनेंट विनगेट ने लागु किया
लगान की दर 50% तथा बाद में 66% से 100% के बीच बढ़ाया गया।

→ इसी कारण 1879 में दक्कन में विद्रोह हो गया।
अतः सरकार ने 1879 ई० में दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया।

~~कृषि का व्यापारीकरण~~

अंग्रेजों द्वारा भारत का किये गये शोषण को तीन भाग में बांटा गया है
प्रथम - 1756 – 1812.
द्वितीय 1813 - 1857
तृतीय - 1857 - 47

→ भारत से धन के निकासी के सम्बन्ध में सर्वप्रथम आवाज दादाभाई नौरोजी ने 1868 ई० को किया।

→ 2 मई 1867 को लन्दन के आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में अपने पत्र का शीर्षक England's debt to India में पहली बार धन के निकासी का सिद्धान्त प्रस्तुत किया।

Date :
Page :

दादाभाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक Poverty and un-British Rule in India में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रु. लगाया था

→ नौरोजी ने धन निकासी को Evil of all Evils की संज्ञा दी। तथा भारत में गरीबी का मुख्य कारण माना।

→ रमेश चन्द्र दत्त की पुस्तक Economic history of India (1901) को आधुनिक भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक माना जाता है।

प्रति व्यक्ति आय का अनुमान

दादाभाई नौरोजी (1867-68) -	20 रु./year.	
एलविन बेरिंग और डेविड वेकलर (1882)	27 रु./वर्ष	सरकारी आंकड़ा
लार्ड कर्जन (1899)	30 रु./ वर्ष	
विलियम डिग्बी	18 रु./ वर्ष	
वी.के. आर.वी. राव 1931-32.	62 रु. / वर्ष	

वर्ष	कृषि पर निर्भरता
1891	61.1 % व्यक्ति
1901	66.5 % "
1911	72.2 % "
1921	73.0 % "

→ भारत का पहला सूती वस्त्र उद्योग 'बाम्बे स्पिनिंग एण्ड विविंग कम्पनी' के नाम से पारसी उद्योगपति कावसजी डावर ने 1854 ई. में खोला।

भारत का पहला चीनी कारखाना - 1909 में

पहला जुट कारखाना - 1855 ई. में

स्टील कारखाना 1830 मद्रास के अरकाट जिले में जोशिया मार्शल हीथ

लौह उद्योग के 1907 में जमशेदजी नौसेरवानजी टाटा द्वारा जमशेदपुर

Classmate
Date :
Page :

कारखाना अधिनियम.

1881 का कारखाना अधिनियम - लार्ड रिपन + 100
- 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का प्रतिबन्ध
- 7-12 वर्ष के बच्चों का काम की अवधि 9 घण्टे तय
एक घण्टे का आराम में महीने में चार दिन छुट्टी

1891 का कारखाना अधिनियम (+ 50) (लार्ड लैन्सडाउन)
- 9 वर्ष के बच्चों का काम करना प्रतिबन्धित
- 9-14 के बच्चों का काम का घण्टा 7 घण्टा तय
- महिलाओं का रात 8 से सुबह 7 तक काम प्रतिबन्धित काम का घण्टा 11 कर दिया गया। सप्ताह में एक अवकाश।

1911 का कारखाना अधिनियम - हार्डिंग
- पुरुषों की कार्य करने की अवधि 12 घण्टे किया गया
बच्चों का कारखानों में शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रतिबंध,

1922 का कारखाना अधिनियम (+20) - लार्ड रीडिंग
बच्चों निम्नतम आयु बढ़ाकर 12 से 15 किया गया। तथा काम के घण्टे 6 किये गये

1934 का कारखाना अधिनियम
- वयस्क मजदूरों के काम के घण्टे 11 किये गये आराम एवं चिकित्सा की व्यवस्था।

1946 का कारखाना अधिनियम
काम के घण्टे 9 घण्टा किया गया
200 से अधिक मजदूर वाले कारखानों में ~~कैन्टीन~~ की कैन्टीन की व्यवस्था की गयी।